उत्तर प्रदेश शासन,

ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,

संख्या-213/2017/3081/92-2-2017-68जांच/2016

लखनऊ :: दिनांक:: 18 दिसम्बर, 2017

**कार्यालय-ज्ञाप**

जनपद बाराबंकी में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम सरई बेलहरी, ग्राम जियनपुर एवं ग्राम सराय सलीम के निर्माण कार्यो में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप मुख्य प्राविधिक परीक्षक की जांच आख्या के अनुसार के कार्यकाल में प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर श्री बृजेश कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी सम्प्रति प्रखण्ड-गाजीपुर के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2016/1989/92-2-2016-68जांच/2016 दिनांक 02-01-2017 द्वारा उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक जांच संस्थित करते हुये प्रकरण की जांच हेतु मुख्य अभियंता, पूर्वी क्षेत्र, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परिमण्डल-लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया गया। अपचारी अधिकारी पर अधिरोपित आरोप निम्नवत है :-

**आरोप संख्या-1**

आप द्वारा प्रखण्ड-बाराबंकी में अधिशासी अभियंता कार्यकाल के दौरान विकास खण्ड-सिद्धौर में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम जियनपुर एवं सराय बेलहरी में प्रस्तावित सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का कार्य कराया गया। उक्त कार्य की जांच मुख्य प्राविधिक परीक्षक, तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा दिनांक 01-08-2016 को की गयी। टी0ए0सी0 की जांच में लीन कंक्रीट एवं पालीथीन शीट की मोटाई कम पाये जाने, पी0सी0सी0 प्लास्टर तथा सी0सी0 कार्य शक्ति में कमजोर पाये जाने के फलस्वरूप रू0 58,256.00 की शासकीय क्षति आंकलित की गयी।

अत- उक्त डा0 लोहिया ग्रामों में आप द्वारा मानक के अनुरूप कार्य न कराने एवं शासन को क्षति पहुंचाने के लिये आप उत्तरदायी है, जिसके लिये आपको आरोपित किया जाता है।

**आरोप संख्या-2**

आप द्वारा प्रखण्ड-बाराबंकी में अधिशासी अभियंता के पद पर रहते हुये विकास खण्ड–सिद्धौर में वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम जियनपुर, सरॉय सलीम बेलहरी में शासन के स्वीकृत मानक लागत के सापेक्ष प्रस्तावित सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन कार्यो की टी0ए0सी0 जांच में लीन कंक्रीट एवं पालीथीन शीट की मोटाई मानक से कम पायी गयी। पी0सी0सी0, प्लास्टर एवं सी0सी0 कार्य शकित में कमजोर पाया गया। इस प्रकार गुणवत्ता नियंत्रण में शिथिलता एवं अधीनस्थ अभियंताओं/ठेकेदारों पर शिथिल नियंत्रण के लिये आप उत्तरदायी है, जिसके लिये आरोप आरोपित किया जाता है।

2- अपचारी अधिकारी, श्री दूबे का बचाव उत्तर उनके पत्र दिनांक 18-07-2017 द्वारा प्राप्त होने के उपरांत जांच अधिकारी/मुख्य अभियंता, पू0क्षे0, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-1327/ग्रा0अ0वि0/अनु0जांच/बी0के0 दूबे/एस0टी0-128/2017-18 दिनांक 18-08-2017 द्वारा जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी। उक्त जांच आख्या में अपचारी

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अधिकारी, श्री दूबे पर अधिरोपित कुल 02 आरोपों में से आरोप सं0-2 आंशिक रूप से स्थापित पाये जाने पर शासन के पत्र दिनांक 31-10-2017 द्वारा अपचारी अधिकारी से उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-9(4) के अंतर्गत अभ्यावेदन मांगा गया, जो उनके पत्र सं0-1650/ग्रा0 अ0वि0/अनु0जांच/2017-18 दिनांक 09-11-2017 द्वारा शासन में उपलब्ध कराया गया। उक्त अभ्यावेदन में अपचारी अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि छोटे-छोटे प्रकृति के निर्माण कार्य के लिये ठेकेदार भी छोटे ("डी" श्रेणी के) होते है, जिनके द्वारा समस्त कार्य यथा-मिश्रण/लेईग मानव श्रम द्वारा कराया जाता है। ऐसी स्थिति में अलग-अलग स्थान पर परीक्षण करने पर पृथक-पृथक परिणाम प्राप्त होना स्वाभाविक है।

3- अपचारी अधिकारी, श्री बृजेश कुमार दूबे पर अधिरोपित आरोप पत्र, जांच अधिकारी की जांच आख्या, अपचारी अधिकारी का अभ्यावेदन एवं संगत अभिलेखों के परीक्षणोपरान्त, अपचारी अधिकारी पर आरोप संख्या-2, स्वीकृत मानक लागत के सापेक्ष प्रस्तावित सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन कार्यो में लीन कंक्रीट एवं पालीथीन शीट की मोटाई मानक से कम पायी गयी तथा पी0सी0सी0, प्लास्टर एवं सी0सी0 कार्य शकित में कमजोर पाये जाने पर आंशिक रूप से सिद्ध पाये जाने के द्रष्टिगत श्री दूबे के विरूद्व शासन के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 02-01-2017 द्वारा संस्थित अनुशासिनक कार्यवाही को उन्हें भविष्य में इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति न हो, के लिये सचेत करते हुये समाप्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

श्री राज्यपाल के आदेश से,

मो0 इफ्तेखारूददीन
अपर मुख्य सचिव।

**<u>संख्या-213/2017/3081/(1)/92-2-2017 तददिनांक।</u>**

प्रतिलिति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

2- श्री बृजेश कुमार दूबे, तत्का0 अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-बाराबंकी सम्प्रति प्रखण्ड-वाराणसी द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

3- ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1

4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवध नारायण)
उप सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in